भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 820

06/02/2026 को उत्तरार्थ

विषय: बिहार में बाढ़ एवं सूखा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करना

820 श्रीमती धर्मशीला गुप्ताः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी केंद्रीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में बिहार में बाढ़ एवं सूखा प्रभावित कितने किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया है; और

(ग) राहत एवं मुआवजा वितरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, बाढ़ सहित अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध फंड से राहत उपाय करती हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन किया जाता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के लिए होती है और नुकसान/दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए नहीं होती है।

पिछले तीन वर्षों में एसडीआरएफ आवंटन और रिलीज का विवरण:

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ का हिस्सा (रुपये करोड़ में)
2022-23	1189.60
2023-24	1248.80
2024-25	1311.20
2025-26	688.40*

* - पहली किस्त

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2016 के सीजन से देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की। पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर कटाई पश्चात तक फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम

बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल बाढ़, जलभराव आदि जैसी अप्रतिरोध्य प्राकृतिक आपदाओं और चरम जलवायु आपदाओं के कारण व्यापक उपज हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय जोखिमों (जिसमें जलभराव, बादल फटना आदि शामिल हैं) के कारण खेत स्तर पर उपज हानि और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कटाई पश्चात होने वाली हानि और बुवाई में रुकावट से भी सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। सभी इच्छुक किसान इस योजना के तहत पंजीकरण के पात्र हैं। हालांकि, बिहार राज्य ने एक या अधिक मौसमों के लिए योजना कार्यान्वित करने के बाद इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना।

बिहार राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार में बाढ़ से प्रभावित लाभार्थी किसानों की संख्या जिन्हें कृषि इनपुट सब्सिडी दी गई है, नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	2021-22	13,23,615
2	2022-23	89,362
3	2023-24	--
4	2024-25	2,49,330

बाढ़, चक्रवात जैसी भीषण प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए राज्य से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया जाता है, ताकि राज्य प्रशासन द्वारा नुकसान और राहत कार्यों का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके। सूखे के संबंध में, आकलन के लिए समयसीमाएँ और राहत तंत्र निम्नानुसार हैं:

- राज्य सरकारें खरीफ के सूखे की सूचना 31 अक्तूबर तक और रबी सूखे की सूचना 31 मार्च तक जारी करेंगी। सूखे की गंभीर स्थिति में सहायता हेतु ज्ञापन सूखे की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सूखा प्रभावित क्षेत्र में एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन करेगा और उसे प्रभावित क्षेत्र में भेजेगा। आईएमसीटी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी प्रासंगिक जानकारी के आधार पर 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के विचारार्थ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। केन्द्र सरकार आईएमसीटी से रिपोर्ट प्राप्त होने के एक महीने के भीतर एनडीआरएफ से राज्य को दी जाने वाली सहायता पर अंतिम निर्णय लेगी।
- राज्य सरकारें एनडीआरएफ से केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित करेंगी। लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाएगा ताकि फंड अंतरण प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

जिला प्रशासन की सहायता से राज्यों के राहत आयुक्त विभिन्न आपदाओं के लिए राहत कार्यों की आवधिक निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं।
